भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1589**
**31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए**

**इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति**

1589. **श्री नरेश बंसलः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में अब तक कितने धातु स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) स्क्रैप-आधारित इस्पात उत्पादन के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा आयात पर निर्भरता घटाने के अनुमानित प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) देश भर में अब तक स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) का विवरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन पोर्टल पर नीचे दिए गए यूआरएल पर उपलब्ध है:

'https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/rvsfdetails.xhtml '

(ख) 100% स्क्रैप-आधारित इस्पात उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता लगभग 0.55 - 0.65 टन सीओ2 प्रति टन क्रूड स्टील (टीसीओ$_2$/टीसीएस) है, जो 2.54 टीसीओ2/टीसीएस के सेक्टोरल एवरेज से कम है। वित्तीय वर्ष 2026 में, भारत के इस्पात उत्पादन में स्टील स्क्रैप का योगदान लगभग 36 मिलियन टन रहा, जिसमें से लगभग 7.7 मिलियन टन आयात किया गया था।

(ग) और (घ): सरकार ने इस क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय ढांचा प्रदान करती है।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण

के लिए प्रोत्साहन/निरुत्साहन की प्रणाली शामिल है। इस नीति के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरण नियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रदूषण मुक्त करने और विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करते हैं।

(iii) भारत सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 लागू किए हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है, जिसके तहत वाहन उत्पादकों को वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्री के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

(v) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य पोत के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित करना और बढ़ावा देना है।

*****